

**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)**

या
समाहर्ता या समुचित सरकार
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा ए.डी.बी. सम्पोसित गोविन्दपुर-टुण्डी-गिरिडीह (पैकेज-3) हेतु ग्राम-गंगापुर, थाना गिरिडीह, थाना सं० 262 अंचल गिरिडीह में कुल 0.8050 एकड़ यानि 0.3258 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपयुक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 0.8050 एकड़ यानि 0.3258 हेक्टेयर है और जो ग्राम-गंगापुर, थाना गिरिडीह, थाना सं० 262, अंचल गिरिडीह में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

| क्र.सं. | खाता सं० | सर्वे प्लॉट सं० | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता | सीमा (मूखंड-सं.) | | | |
|---------|----------|-----------------|---------------------|----------------|----------------------------------|---|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | | उ० | द० | पू० | प० |
| 1 | | 395/1 | निजी | कृषि | 0.2050 | रूपलाल सोरेन पिता स्व. मंजीया मांझी | पक्की सड़क | प्लॉट संख्या 395, 396, 397 | प्लॉट संख्या 379 | प्लॉट संख्या 397, 398 |
| 2 | | 395/2 | निजी | कृषि | 0.1025 | सिकन्दर सोरेन वा बबलु सोरेन वा चंद किशोर सोरेन पिता स्व. किसुन सोरेन | | | | |
| 3 | | 395/3 | निजी | कृषि | 0.1025 | सोनेलाल सोरेन पिता स्व. कन्हाई सोरेन | | | | |
| 4 | | 397 | निजी | कृषि | 0.0650 | बाबुजान सोरेन पिता स्व. महादेव सोरेन वा सिरिजल सोरेन वा सुखु सोरेन पिता स्व. फुदु सोरेन | | | | |
| 5 | | 396/1 | निजी | कृषि | 0.0367 | देवीलाल सोरेन वा निरूलाल सोरेन पिता स्व. लक्खीराम सोरेन | | | | |
| 6 | | 396/2 | निजी | कृषि | 0.0733 | कालीचरण सोरेन वा कोलेश्वर सोरेन पिता स्व. मदन सोरेन | | | | |
| 7 | | 396/3 | निजी | कृषि | 0.1100 | ईश्वर सोरेन पिता स्व. बघु सोरेन | | | | |
| 8 | | 396/4 | निजी | कृषि | 0.1100 | रामेश्वर सोरेन वा श्रीपति सोरेन पिता स्व. दुनु सोरेन वा युवराज सोरेन पिता अनील सोरेन | | | | |
| कुल :- | | | | | 0.8050 | | | | | |

यदि अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।

ग्राम- X थाना X थाना सं० X अंचल X में कुल X एकड़ यानि X हेक्टेयर जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार निचे दिये गये हैं :-

X X X

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी

अपर समाहर्ता

समाहर्ता गिरिडीह

गिरिडीह

झापांक 1139 / भू-अर्जन गिरिडीह 28/08/18

प्रतिलिपि :-

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

सूचना विज्ञान पदाधिकारी N.I.C. गिरिडीह को वेबसाईट www.giridih.nic.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, गिरिडीह को जिला गिरिडीह के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

अंचल अधिकारी, गिरिडीह एवं जिला परिषद/संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

जिला अवर निबंधक, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18-08-18

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी

अपर. समाहर्ता
गिरिडीह

समाहर्ता गिरिडीह।